न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 15/2019 (2019/00558)

1. कौशल्या देवी पत्नि प्रहलाद कुमार पारीक जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 26.04.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प पारा में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
90–89	709 710 711	0.49 0.13 1.79	बारानी 2 गै.मु.पाल नहरी 2
	कुल किता 3	कुल रकबा 2.38 हैक्टर	

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीया फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करती चली आ रही है एवं दीगर व्यक्ति का कोई हिस्सा व वास्ता सरोकार नही है। आस पास के खातेदार प्रार्थीया की उक्त आराजी को अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है एवं नाजायज व जबरन रूप से खेत के अन्तर बढ रहे है जिससे प्रार्थीया मुख्तिकल मोईन्ट्स से नोपचोप कर आराजी का सीमाज्ञान कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहती है जो न्यायोचित एवं आवश्यक है ताकि भविष्य में उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उक्त आराजी की मिट्स एण्ड बाउण्डस नापचोप कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया हे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दौराने कैम्प उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी को सुना गया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है एवं राजहित प्रभावित नही है एवं तहसीलदार द्वारा पत्रावली में उपस्थित के हस्ताक्षर अंकित किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बांबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम लसाडिया तहसील केकडी की जमाबन्दी के खसरा संख्या 709, 710, 711 किता 3 कुल रकबा 2.38 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प पारा में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी